पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 फरवरी, 2017 ई0 (फाल्गुन 06, 1938 शक सम्वत्) [संख्या–08

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	195–196	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	55–57	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	11–30	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

लघु सिंचाई अनुभाग

कार्यालय आदेश

16 फरवरी, 2017 ई0

संख्या 119/II–2017–14(01)/2004–टी0सी0–केन्द्रीय भू–जल बोर्ड, उत्तराखण्ड, परिक्षेत्र देहरादून, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 4–(17)/CGWB/UR/Tech–15–205, दिनांक 15–06–2015 के अनुक्रम में अधिसूचना संख्या 373/II–2015–14(01)/2004, दिनांक 29 जून, 2015 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, लघु सिंचाई विभाग की अध्यक्षता में "Assessment of the Dynamic Ground Water Resources, 2013", के सम्बन्ध में गठित समिति में डॉ0 विनोद कुमार, कृषि अभियन्ता, कृषि विज्ञान विभाग, कृषि महाविद्यालय, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, को अतिरिक्त सदस्य के रूप में नामित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,

प्रमुख सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

17 फरवरी, 2017 ई0

संख्या 142/XXXI(1)/2017/पदो0–30/2015–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत श्री प्रदीप पपनै, समीक्षा अधिकारी को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री प्रदीप पपनै, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्या 1997/2013 (एस/एस), धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 146 एस0बी0/2014, दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 22122/2013, सुनील कुमार मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270 (एस0बी0)/2015, शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271 (एस0बी0)/2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, 272 (एस0बी0) 2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273 (एस0बी0)/2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 274 (एस0बी0)/2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य के अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0 में योजित स्पेशल अपील संख्या 31/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2015 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 23254/2015, हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.09.2015 के परिपेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 5828 (एस/एस)/2015, डा0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन की जा रही है।

4. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री प्रदीप पपनै, अनुभाग अधिकारी को सचिवालय प्रशासन (विविध), अनुभाग–3 में तैनात किया जाता है।

5. श्री पपनै, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती के विभाग/अनुभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0), अनुभाग–1 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 08 हिन्दी गजट/118–भाग 1–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 फरवरी, 2017 ई0 (फाल्गुन 06, 1938 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

February 16, 2017

No. 137/III-A-14/09/SLSA--Sri Prashant Joshi, Member Secretary, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 09 days *w.e.f.* 05.01.2017 to 13.01.2017 with permission to prefix 31.12.2016 to 04.01.2017 as New Year Holidays and suffix 14.01.2017 and 15.01.2017 as 2nd Saturday and Sunday holidays respectively for the purpose of L.T.C.

By Order of Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-
REENA NEGI,
Officer on Special Duty.

NOTIFICATION

February 16, 2017

No. 138/III-A-7/2017/SLSA--Sh. Rajeev Dhawan, Secretary, District Legal Services Authority, Nainital is hereby sanctioned paternity leave of 15 days w.e.f. 11.01.2017 to 25.01.2017 with permission to suffix 26.01.2017 as Republic Day holiday in terms of G.O. No. 819/xxvii(7)/34/2010-11, dated 31.12.2013 issued by Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Executive Chairman,

Sd/-
PRASHANT JOSHI,
Member Secretary.

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

10 फरवरी, 2017 ई0

पत्रांक 5868/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म–अनु0/2016–17/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म–16, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ:–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री सारा साई प्रा0 लि0, देहरादून, टिन नं0 05000761184	प्ररुप–XVI (11)	U.K.VAT-M2012 2251511, 3094558, 3098514, 3094712, 3098367, 5048103, 5048122, 5048188, 5571101, 5574648, 6350599	खोने के कारण

विपिन चन्द्र,
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), काशीपुर

कार्यालय आदेश

04 जनवरी, 2017 ई0

पत्रांक 10/टी0आर0/कर–पंजीयन/UK18B 3077/2016–वाहन संख्या UK18B 3077 (कार), मॉडल 2014, चेसिस नं0 MDHBDAN17E4300121, इस कार्यालय में श्रीमती साधना रानी गोयल पत्नी श्री मनोज गोयल, निवासी म0 नं0 751, सुभाष नगर, वार्ड नं0 4, पुराना आवास विकास, काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 28.12.2016 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर चलते समय दुर्घटना ग्रस्त हो गया तथा कबाड़ में परिवर्तित हो गया है एवं भविष्य में संचालन योग्य नहीं है (इस सम्बन्ध में शपथ–पत्र संलग्न है)। वाहन स्वामी द्वारा पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, अनिता चन्द, कर पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK18B 3077 (कार) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MDHBDAN17E4300121 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

02 फरवरी 2017 ई0

पत्रांक 150/कर पंजीयन–निरस्त/UK18 4446/2017–वाहन संख्या UK18 4446 (कार), मॉडल 2013, चेसिस नं0 WVWC 13609DT049270, इस कार्यालय में श्री मुजम्मिल अली पुत्र श्री मोहम्मद अनबर, स्थायी पता म0 नं0 101, अनवर हाउस, सरवती गेट, वेस्ट मोती महल, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), वर्तमान पता सैय्यद हैदर अब्बास, म0 नं0 358, टान्डा उज्जैन, काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 27.12.2016 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर चलते समय दुर्घटना ग्रस्त हो गया, जिससे वह संचालन योग्य न होने के कारण वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, अनिता चन्द, कर पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK18 4446 (कार) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या WVWC 13609DT049270 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

अनिता चन्द,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), काशीपुर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 08 हिन्दी गजट/118–भाग 1–क–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 फरवरी, 2017 ई0 (फाल्गुन 06, 1938 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, कर्णप्रयाग (चमोली)

सार्वजनिक सूचना

06 फरवरी, 2017 ई0

संख्या 553/न0पा0परि0/उप नि0/2016–17/कर्णप्रयाग–नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग सीमान्तर्गत नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 की उपधारा 2, खण्ड (ज) (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग द्वारा विज्ञापन/होर्डिंग्स को नियन्त्रित करने एवं शुल्क वसूली के उद्देश्य से "विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि 2015" बनायी जाती है, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है। यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग के बोर्ड बैठक दिनांक 27 अगस्त, 2015 के प्रस्ताव संख्या 27 द्वारा पारित की गयी।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

"विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि 2015"

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ :

(क) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग, "विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि 2015" कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(ग) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :

किसी विषय या प्रसंग से कोई वाद प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में:–

(क) "नगरपालिका" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग से है;

(ख) "सीमा" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग की सीमाओं से है;

(ग) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, कर्णप्रयाग से है;

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगरपालिका, कर्णप्रयाग के अध्यक्ष/प्रशासक से है;

(ङ) "बोर्ड" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों अथवा प्रशासक से है;

(च) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) संशोधन एवं उपान्तरण आदेश 2002 से है;

(छ) "विज्ञापन" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग की सीमान्तर्गत प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापन पर, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर एवं अन्य प्रचार सामग्री से है।

3. विज्ञापन पट्ट (होर्डिंग/यूनिपोल) स्थल के अनुसार सड़कों के समानान्तर लगाये जायेंगे। छोटे यूनिपोल पैंडिट सर्फेस से 2.5 मीटर की दूरी पर 5×3 फिट एवं सड़क से 8 फुट ऊँचाई पर होंगे। मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रान्तीय मार्ग पर यूनिपोल के बीच कम से कम 30 फिट की दूरी होगी।

4. यूनिपोल/होर्डिंग, सड़क से समानान्तर लगाये जायेंगे, जिससे यातायात सुगमता से संचालित हो सके एवं होर्डिंग के कारण सड़क दुर्घटना को न होने देने के उद्देश्य से, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ से इन यूनिपोल/होर्डिंग को 25 डिग्री के कोण से कम भी किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर सड़क के समानान्तर लगाने के निर्देश भी दिये जा सकते हैं।

5. होर्डिंग/यूनिपोल का अधिकतम साईज 20×10 फिट होगा।

6. होर्डिंग/यूनिपोल सड़क की पेंटिंग सर्फेस से न्यूनतम 2.5 मीटर दूरी पर लगाये जायें।

7. होर्डिंग/यूनिपोल की संरचना मजबूत व फ्रेम के आकार की होनी चाहिये, जिससे आँधी आदि में न गिरे। अतः इनकी संरचना के सम्बन्ध में स्ट्रक्चर इन्जीनियर से रिपोर्ट आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

8. चौराहों व मोड़ो पर 25–25 मीटर दूरी तक होर्डिंग/यूनिपोल नहीं लगाये जायेंगे।

9. प्रत्येक होर्डिंग के सम्बन्ध में सड़कवार एक यूनिक कोड नम्बर तय किया जायेगा, जिसके विवरण में उस होर्डिंग का आकार प्रकार, होर्डिंग विज्ञापन एजेन्सी का नाम लगाने का स्थान, स्वीकृति तिथि, रसीद नम्बर व उस होर्डिंग का सड़क से एंगल भी वर्णित किया जायेगा।

10. नगरपालिका सीमा में विज्ञापन पट्ट लगाये जाने हेतु विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन पट्ट लगाने से पूर्व नगरपालिका परिषद् कार्यालय में पंजीकरण कराया जायेगा। इस प्रकार केवल पंजीकृत एजेन्सियों को ही विज्ञापन पट्ट लगाये जाने की अनुमति दी जायेगी। पंजीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 01 मार्च से 31 मार्च तक किया जायेगा।

11. नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग में विज्ञापन एजेन्सियों को पंजीकृत किये जाने हेतु प्रथम बार पंजीकरण राशि ₹ 10,000.00 (दस हजार), पालिका कोष में जमा करानी होगी। तत्पश्चात् पंजीकृत एजेन्सी अगले प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु ₹ 5,000.00 (पाँच हजार) की धनराशि नवीनीकरण के रूप में नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग कोष में जमा करायेगा।

12. नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग सीमा में लगाये जाने वाले विज्ञापन पट्टों/पोल क्योस्क का न्यूनतम शुल्क प्रति वर्ग फीट की दर से आगणित किया जायेगा। शुल्क निम्नानुसार होगा। प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी अथवा निम्न शुल्क को न्यूनतम मानते हुए होर्डिंग की सार्वजनिक नीलामी करायी जायेगी।

अनुसूची

क्र0 सं0	विवरण	दर (₹ में)	यूनिट
1	2	3	4
1.	मुख्य मार्ग (एन0एच0/प्रान्तीय मार्गों) के किनारे स्थित विज्ञापन/होर्डिंग्स (जो स्ट्रक्चर खड़ा कर, लगाये गये हों)	130.00	प्रति वर्ग फिट/प्रति वर्ष
2.	नगरपालिका के मुख्य मार्ग एवं आन्तरिक मोहल्लों के सार्वजनिक स्थलों पर लगने वाले विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि	70.00	प्रति वर्ग फिट/प्रति वर्ष

1	2	3	4
3.	इन्डिकेटर बोर्ड (आई0एच0पी0) (3×2 फिट) पोल क्योक्स 2 (3×2 फिट)	800.00	प्रति पोल/प्रति वर्ष
4.	दुकानों/भवनों पर लगे ग्लोसाइन बोर्ड	80.00	प्रति वर्ग फिट/प्रति वर्ष
5.	दुकानों/भवनों पर लगे साइन बोर्ड	50.00	प्रति वर्ग फिट/प्रति वर्ष
6.	फ्लाई ओवर कॉलम पर (10×20 फिट)	80.00	प्रति वर्ग फिट/प्रति वर्ष
7.	पुल/पुल के कॉलम पर (10×20 फिट)	80.00	प्रति वर्ग फिट/प्रति वर्ष
8.	प्रोटेक्शन स्क्रीम/नाला कल्वर्ट (8×15 फिट)	80.00	प्रति वर्ग फिट/प्रति वर्ष
9.	निजी बस/पब्लिक बस एडवरटाईजिंग 4×15 फिट (दोनों साईड) बैक साईड 3×3 फिट	40.00	प्रति वर्ग फिट/प्रति वर्ष
10.	डिलवरी वाहन/सर्विस वाहन/टैक्सी	80.00	प्रति वर्ग फिट/प्रति वर्ष
11.	डिमोस्टेशन वाहन	400.00	प्रति दिन
12.	बिल्डिंग रैप 80×20 फिट	80.00	प्रति वर्ग फिट/प्रति वर्ष
13.	पार्किंग (दो डिसप्ले बोर्ड) 3×5 फिट	80.00	प्रति वर्ग फिट/प्रति वर्ष
14.	टी–गार्ड 1.5×1.5 फिट	50.00	प्रति वर्ग फिट/प्रति वर्ष
15.	ट्रैफिक बैरीकेटिंग	400.00	प्रति बैरीकेटिंग
16.	ट्रैफिक पोस्ट के ऊपर कियोस्क 2×3 फिट	200.00	प्रति वर्ग फिट/प्रति वर्ष
17.	सार्वजनिक शौचालय, दो साईड वाले 8×10 फिट	200.00	प्रति वर्ग फिट/प्रति वर्ष
18.	रोड डिवाईडर पर यूनिपोल गैन्टी 40×8 फिट	200.00	प्रति वर्ग फिट/प्रति वर्ष
19.	लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार	100.00	प्रति दिन
	अतिरिक्त दिन के लिए	50.00	प्रति दिन
20.	इवेन्ट एण्ड एक्जीबिशन/मेला, एक दिन	8,000.00	प्रति दिन
	अतिरिक्त दिन के लिए	800.00	प्रति दिन
21.	स्थानीय केबल नेटवर्क पर प्रसारित विज्ञापनों पर शुल्क	80,000.00	वार्षिक
22.	बस शैल्टर 26×5 फिट	80.00	प्रति वर्ग फिट/प्रति वर्ष
23.	बिजली/टेलिफोन के खम्बों पर 3×2 फिट	150.00	प्रति वर्ग फिट/प्रति वर्ष
24.	बैलून (गुब्बारा) पर विज्ञापन	150.00	प्रति बैलून/प्रति वर्ष

प्रतिबन्ध यह है कि मेला के दिन पड़ने वाले वर्ष में विज्ञापन शुल्क दुगुना लिया जायेगा।

13. निम्नलिखित क्षेत्रों को विज्ञापन की दृष्टि से विज्ञापन पट्ट प्रतिबन्धित रहेगा:–

1. गंगा नदी के किनारे स्थित समस्त घाट।
2. धार्मिक स्थल।
3. नगरपालिका कार्यालय के आसपास।

14. नगरपालिका सीमान्तर्गत सम्प्रदर्शित किए जाने वाले ग्लोसाईन/साईन बोर्ड, जो दुकानों के नाम के साथ–साथ स्वतन्त्र रूप से किसी वस्तु के विषय, गुण आदि के बारे में उल्लेख हो, जनसाधारण को विज्ञापन की भाँति आकर्षित करता हो, के विज्ञापनकर्ता से विज्ञापन शुल्क की वसूली की जायेगी, का कार्य निविदा के माध्यम से ठेके पर किया जायेगा।

15. विज्ञापन शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 अप्रैल तक पूर्णतः अग्रिम (100 प्रतिशत) जमा किया जायेगा। एक माह तक शुल्क जमा न होने पर सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता से विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा तथा बकाया विज्ञापन शुल्क की वसूली भू–राजस्व की भाँति वसूल की जायेगी।

16. इन्डिकेटर बोर्ड या अन्य बोर्ड, जहाँ दोनों ओर विज्ञापन लिखें होंगे, वहाँ निर्धारित शुल्क दुगने हो जायेंगे। इन्डिकेटर बोर्ड का साईज 5×3 फिट का होगा।

17. विज्ञापन शुल्क बैंक ड्राफ्ट्स या बैंकर्स चेक या नकद के रूप में ही जमा किया जायेगा।

18. निजी भवनों की छतों पर विज्ञापन पट्ट पूर्णतः प्रतिबन्धित हैं।

19. प्रत्येक तिराहों एवं चौराहों में, जहाँ कि समय–समय पर विज्ञापन पट्ट एकदम रास्ते के किनारे से एक दूसरे के अगल–बगल से आने वाले वाहनों का एक दूसरे को देखने में कठिनाई होती है तथा यातायात में बाधा उत्पन्न होती है, इन चौराहों एवं तिराहों में केन्द्र से चारों ओर पथों पर 25 मीटर तक विज्ञापन पट्ट लगाने में प्रतिबन्ध रहेगा।

20. पोल कियोस्क का साईज 2×3 फिट होगा।

21. सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू, धूम्रपान एवं अश्लील, जातिसूचक, धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने वाले, पशु क्रूरता, हिंसात्मक, विध्वंसक उत्पाद, हथियारों से सम्बन्धित उत्पाद सम्बन्धी विज्ञापनों का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

22. किसी भी विज्ञापन एजेन्सी द्वारा यदि स्वीकृत पट्ट के इतर कोई विज्ञापन प्रदर्शित किया हुआ पाया गया तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। उक्त के लिए कर एवं राजस्व निरीक्षक नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग स्वीकृत होर्डिंग का सत्यापन नियमित रूप से प्रतिमाह करेंगे।

23. विज्ञापन की स्वीकृति अधिकतम एक वर्ष के लिए दी जायेगी।

24. जनहित अथवा यातायात की दृष्टि से एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार यदि किसी स्वीकृत विज्ञापन पट्ट को हटाने की आवश्यकता होती है तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन पट्ट हटा दिया जायेगा। उक्त के लिए कर एवं राजस्व निरीक्षक, नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग स्वीकृत होर्डिंग का सत्यापन नियमित रूप से प्रतिमाह करेंगे।

25. यूनियन रोड काँग्रेस द्वारा रोड शाइन (आई0आर0सी0) 67–2001 में निर्धारित कलरों/मानकों का प्रयोग ही विज्ञापन पट्टों को हटाने की आवश्यकता होती है तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन पट्ट हटा दिया जायेगा, जिस पर कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

26. विज्ञापन पट्ट/यूनिपोल का आवंटन, विज्ञापन शुल्क के निर्धारित न्यूनतम धनराशि पर शीलबन्द निविदायें आमन्त्रित कर सर्वोच्च बोलीदाता को किया जायेगा। निविदायें मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा गठित समिति के द्वारा माँगी जायेगी तथा उनका निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

27. रोड, पटरी, निजी भवनों एवं भूमियों पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन अवैध रूप से लगाने पर, विज्ञापन एजेन्सी, ठेकेदार एवं भवन स्वामी से ₹ 30,000 जुर्माना वसूल किया जायेगा एवं अवैध विज्ञापन पट्ट को तत्काल हटाते हुए विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण एवं ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, इस पर होने वाले व्यय की वसूली विज्ञापन एजेन्सी एवं ठेकेदार से की जायेगी।

28. जनहित में नगरपालिका में पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियों को जो भी विज्ञापन पट्ट स्वीकृत किये जायेंगे, उन पर सुन्दर कर्णप्रयाग, स्वच्छ कर्णप्रयाग का स्लोगन प्रदर्शित किये जायेंगे तथा यातायात की दृष्टि से पुलिस विभाग द्वारा लगाये जाने वाले विज्ञापन के होर्डिंग्स/यूनिपोल में उनकी आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्थान दिया जायेगा।

29. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त करते हुए एजेन्सी को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹ 5000.00 तक हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन लगातार किया जाए तो अग्रेतर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिनमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, ₹ 500.00 तक हो सकेगा, यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग में अन्तिम रूप से निहित होगा।

सूचना

06 फरवरी, 2017 ई0

संख्या 554/न0पा0परि0/उप नि0/2016–17/कर्णप्रयाग–नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग, चमोली सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की उपधारा 2, खण्ड (ज) (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 की उपधारा 1(ii) (iii) एवं धारा 294 के तहत विभिन्न व्यापार और आजीविका पर लाइसेन्स शुल्क आरोपित करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 399/वी–95–204(जनरल)/94, दिनांक 20.10.1994 के अनुसार विभिन्न व्यवसायों हेतु "व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि 2016" बनायी जाती है, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियाँ एवं सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

"व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि, 2016"

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ :

(क) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि, 2016 कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(ग) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग द्वारा प्रख्यापित तथा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :

किसी विषय या प्रसंग से कोई वाद प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में:–

(क) "नगरपालिका परिषद्" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग से है;

(ख) "सीमा" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग की सीमा से है;

(ग) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग से है;

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग के अध्यक्ष/प्रशासक से है;

(ङ) "बोर्ड" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों से है;

(च) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) संशोधन एवं उपान्तरण आदेश 2002 से है;

(छ) "लाइसेन्स कर" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग की सीमान्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न व्यवसायों के लाइसेंस दिये जाने एवं उनसे निर्धारित शुल्क से है;

(ज) "अवधि" का तात्पर्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा (01 अप्रैल से 31 मार्च) 01 वर्ष के लिए, तक दिये जाने वाले व्यवसायिक लाइसेंस से है।

अनुसूची

क्र0 सं0	मद का नाम	लाइसेन्स शुल्क की प्रस्तावित दर वार्षिक (₹ में)
1	2	3
1.	अंग्रेजी शराब की दुकान	1,00,000.00
2.	होटल, लॉजिंग/गेस्ट हाउस	1,000.00
3.	रेस्टोरेन्ट, मध्यम श्रेणी	1,000.00
4.	रेस्टोरेन्ट, सामान्य श्रेणी	500.00
	परिवहन	
5.	मोटर गैराज	500.00
6.	स्कूटर वाहन/रिपेयरिंग शॉप	400.00
7.	मोटर वाहन एजेन्सी (सेल्स/सर्विस)	5,000.00
8.	स्कूटर एजेन्सी (दो पहिया/तीन पहिया)	2,000.00
9.	साइकिल की दुकान	500.00
	पेट्रोलियम	
10.	पैट्रोल/डीजल पम्प, थोक विक्रेता कम्पनी	5,000.00
11.	पैट्रोल/डीजल पम्प, फुटकर विक्रेता	3,000.00
	अन्य व्यवसाय	
12.	ड्राईक्लीनर	500.00
13.	आटा चक्की	500.00
14.	लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेन्ट, ईटा, बालू (थोक मोरंग, मारवल, टाईल्स, सेनेटरी, हार्डवेयर)	1,000.00
15.	फुटकर बिजली के सामान के विक्रेता	500.00
16.	कपड़ा थोक विक्रेता	1,000.00
17.	कैटरिंग	1,000.00
18.	बेकरी (भट्टी)	500.00
19.	हेयर कटिंग सैलून	500.00
20.	ब्यूटी पार्लर	500.00
21.	कुकिंग गैस एजेन्सी	5,000.00
22.	जनरल मर्चेन्ट थोक	500.00
23.	टेलरिंग हाउस (5 से अधिक कर्मचारी)	1,000.00
24.	टेलरिंग हाउस (5 कर्मचारी तक)	500.00
25.	पेन्ट की दुकान	500.00
26.	ज्वैलर्स (बड़ी), 5 लाख से ऊपर टर्नओवर	2,000.00
27.	ज्वैलर्स (छोटी), 5 लाख से कम टर्नओवर	1,000.00
28.	डेयरी (दूध, पनीर, दही एवं दूध से बनी अन्य पदार्थ)	2,000.00

1	2	3
29.	ऑडियो/विडियो लाईब्रेरी	500.00
30.	मोबाइल विक्रेता/विभिन्न मोबाइल कम्पनियों के रिचार्ज एवं मरम्मत की दुकान	500.00
31.	केबिल टी0वी0	1,000.00
32.	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, खण्डसारी (थोक विक्रेता)	500.00
33.	अनाज तिलहन, चीनी, गुड़, खण्डसारी (फुटकर विक्रेता)	500.00
34.	टेन्ट हाउस	1,000.00
35.	रेडीमेड गारमेन्ट्स (बड़ी दुकान)	1,000.00
36.	रेडीमेड गारमेन्ट्स (छोटी दुकान)	500.00
37.	टूर एण्ड ट्रैवल्स	1,000.00
38.	फोटोग्राफर	500.00
	दुकान	
39.	पान की दुकान	200.00
40.	चाय की दुकान	200.00
41.	स्टेशनरी/दुकान	300.00
42.	न्यूज पेपर	200.00
43.	लकड़ी टाल	500.00
44.	रेडियो/मैकेनिक/टी0वी0 मरम्मत	500.00
45.	टी0वी0 शॉप/इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ	800.00
46.	मिठाई की दुकान	500.00
47.	ड्राई फ्रूट विक्रेता	500.00
48.	सब्जी की दुकान और फल की दुकान	500.00
49.	फर्नीचर विक्रेता	800.00
50.	कॉरी विक्रेता	500.00
51.	चूड़ी विक्रेता	500.00
52.	मांस विक्रेता	800.00
53.	मेडिकल स्टोर	500.00
54.	कबाड़ क्रेता–सप्लायर	5,000.00
55.	पैथोलॉजिकल लैब	1,000.00
56.	नर्सिंग होम	2,000.00
57.	बैंक (सरकारी/संस्थागत)	5,000.00
58.	प्राइवेट प्रैक्टिश्नर/चिकित्सक	1,500.00
59.	अंग्रेजी शराब के गोदाम (एफ0एल0–2)	10,000.00

3. लाइसेन्स :

आवेदक द्वारा लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र के साथ दो फोटो (पासपोर्ट साइज) खींची हुई तथा आवेदन में व्यवसाय का मद एवं विवरण भी देना होगा।

4. प्राप्त आवेदन–पत्र पर नगरपालिका द्वारा समुचित विचारोपण 15 दिवस के अन्दर शुल्क लेकर लाइसेन्स दिये जाने का निर्णय लिया जायेगा, जिसकी सूचना आवेदक को विभाग द्वारा दी जायेगी।

5. सूची में वर्णित व्यवसायिक लाइसेन्स 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के बीच व्यवसाइयों द्वारा प्रत्येक दशा में बनाया जाना अनिवार्य होगा। इस लाइसेन्स की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च (एक वित्तीय वर्ष) तक वैध होगी अन्यथा की स्थिति में विलम्ब शुल्क जो लाइसेन्स अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा, अतिरिक्त अधिकारी के रूप में जमा करना होगा।

6. लाइसेन्स जारी करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

7. जाँचकर्ता के जाँच के समय व्यवसाय के सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व व्यवसाय का होगा।

8. लाइसेंस अधिकारी स्वयं अथवा अपनी एजेन्सी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जाँच का कार्य सम्पादित करा सकता है, जो पालिका के कर निरीक्षक स्तर से कम नहीं होगा।

9. लाइसेन्सधारक अपना व्यवसाय बदलता है तो उसकी सूचना अनिवार्य रूप से एक माह के अन्दर नगर पंचायत में अपने पुराने लाइसेन्स विवरण के साथ लिखित रूप में उपलब्ध करा देगा।

10. उक्त सूची में वर्णित लाइसेन्स के नियमों का उल्लंघन होने की दशा में लाइसेन्स अधिकारी जनहित में किसी भी समय लाइसेन्स अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करता है तो उस अपील की सुनवाई का अधिकार अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी में निहित होगा।

शास्ति

उपरोक्त उपनियम का उल्लंघन नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 29 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो मु0 ₹ 1,000.00 तक हो सकता है। उपनियम का उल्लंघन निरन्तर जारी रहने पर अग्रेतर जुर्माना लिया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन तक हो सकता है। यह अधिकार नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग में अन्तिम रूप से निहित होगा।

सार्वजनिक सूचना

06 फरवरी, 2017 ई0

संख्या 555/न0पा0परि0/उप नि0/2016–17/कर्णप्रयाग–नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद्, कर्णप्रयाग (चमोली) की सीमा के अन्दर नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 का अनुपालन हेतु निम्नलिखित उपविधि बनाई गई है। अतः समाचार–पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग को प्रेषित की जा सकेंगी, वाद–विवाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा। यह उप नियमावली नगर पंचायत, कर्णप्रयाग के नगर पंचायत बोर्ड द्वारा दिनांक 23 मई, 2013 के प्रस्ताव संख्या 01 के द्वारा पारित।

उपविधियाँ

1. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग (चमोली) की नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि 2015 कहलायेगी।

2. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग (चमोली) के समस्त पालिका क्षेत्र में प्रभावी मान्य होगी।

3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

(1) "उपविधि" का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई है, नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि 2015 से है।

(2) "नगरपालिका परिषद्" से तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, कर्णप्रयाग के समस्त पालिका क्षेत्र से है।

(3) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 57 के अधीन नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग में नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।

(4) "स्वास्थ अधिकारी" से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग में शासन द्वारा तैनात नगर स्वास्थ अधिकारी से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगरपालिका के उच्च अधिकारी/कर्मचारी से है, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है।

(5) "निरीक्षण अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है।

(6) "नियम" से तात्पर्य भारत सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 648, नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना, नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 से है।

(7) "अधिनियम" से तात्पर्य नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1916 से है।

(8) "जीव नाशित/जैव निम्नकरणीय/जैविक अपशिष्ट (Biogradable-waste)" से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी, फलों के छिलके, फूल, पौधे के पत्ते आदि से है।

(9) "जीव अनाशित अपशिष्ट (Non-Biogradable-waste)" से तात्पर्य ऐसे कूड़ा–कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा–कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लॉस्टिक भी है।

(10) "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट (Recycable waste)" से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है, जो दुबारा किसी प्रकार सीधे अथवा किसी विधि से परिवर्तन उपरान्त प्रयोग में आ सकता हो, जैसे प्लॉस्टिक, पॉलिथीन, कागज, धातु, रबड़ आदि।

(11) "जैवचिकित्सीय अपशिष्ट (Biomedical-waste)" से कोई अपशिष्ट अभिप्रेत है, जिनका जनन मानवों व पशुओं के निदान उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे सम्बन्धित किसी अनुसंधान क्रिया–कलापों या जैविकों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ है।

(12) "संग्रहण (Collection)" से तात्पर्य अपशिष्ट की उत्पत्ति स्थल, संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।

(13) "कचरा खाद बनाने (Composting)" से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है। जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है।

(14) "ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट (Demolition and Construction Waste)" से सन्निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणामस्वरूप निर्माण सामग्री रोडियों और मलवे से उद्भूत अपशिष्ट अभिप्रेत है।

(15) व्ययन से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को प्रदूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

(16) अपशिष्टों के उत्पादक (Generator of waste) से नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है।

(17) "भूमिभरण (Landfilling)" से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग, पक्षियों का खतरा नाशी जीव/कुतक ग्रीन हाउस, गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजाईन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमे से धुति अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्षण किया है।

(18) "नगरीय ठोस अपशिष्ट (Muncipal Solid Waste)" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचरित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किये जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(19) "सुविधा के परिचालक (Operator of a Facility)" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा निपटान की सुविधा या स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण भी आता है, जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन और हथालन के लिए नगरपालिका परिषद् प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्ति किया गया है। प्रसंस्करण से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामाग्रियों को नये या पुनःचक्रित उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है।

(20) "पुनर्चक्रण (Recycling)" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामाग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तित करता है, जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है।

(21) "पृथक्करण (Segregation)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों को वर्गों में अकार्बनिक पुनर्चक्रण योग और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों में अलग–अलग अभिप्रेत है।

(22) "भण्डारण" से नगरीय ठोस अपशिष्टों को अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बा बंद किया जाना अभिप्रेत है। जिसमें कूड़ा–करकट रोग वाहकों के आकर्षित करने वाले आवारा पशुओं तथा अत्यधिक दुर्गन्ध को रोका जा सकें।

(23) "परिवहन" से विशेष रूप से डिजाईन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है, ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सकें।

(24) कोई भी व्यक्ति स्थापन (Establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर नगरपालिका द्वारा प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

(25) नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

(26) नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापना द्वारा उक्त बिन्दु 06 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगरपालिका के द्वारा निर्धारित समय प्रक्रिया के अनुसार नगर पालिका परिषद् के कर्मचारी/सुविधा के प्रचालक (Operator of a Facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनारक्षित थैले में नहीं डाला जायेगा), जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें जो समय–समय पर संशोधित की जा सकेगी, के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) लिए जायेंगे।

(27) नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगरपालिका से सम्पर्क कर, नगरपालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User Charges) का भुगतान करेगा।

(28) नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूड़े को परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा सम्भव न हो नगरपालिका से सम्पर्क कर नगरपालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User Charges) का भुगतान करेगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

(29) नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्ट को अलग से जमा रखना होगा और 15 दिन में एक बार द्वार–द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा के प्रचालक को देना होगा।

(30) नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन, जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 1988 के अनुसार करेगा। बिना उपचारित जैव चिकित्सक अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

(31) नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी नगरीय ठोस अपशिष्टों को न जलायेगा और न जलवायेगा।

(32) नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण परिवहन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी का होगा।

(33) निरीक्षण अधिकारी द्वारा सील पर पाये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है, जो मासिक यूजर चार्जेज/सुविधा के निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगरपालिका/सुविधा के प्रचालक द्वारा तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेज वसूल किया जा सकेगा। जिसकी प्राप्ति रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी। यह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगरपालिका कोष/सुविधा के प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

(34) अनुसूची में दी गई दरों में पंचवर्षीय 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। जिसकी गणना रुपये पूर्णांक में की जायेगी।

(35) उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेज में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

(36) इस उपविधि के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् को देय धनराशि, नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अध्याय 8 में उपबन्धित रीति से वसूल किये जा सकते है।

(37) उपरोक्त किसी भी प्राविधान की अवहेलना करने पर प्रथम दोष पर ₹ 500.00 तक का अर्थदण्ड तथा अवहेलना जारी रहने पर ₹ 20.00 प्रतिदिन का अर्थदण्ड देय होगा।

नगर पालिका परिषद्, कर्णप्रयाग (चमोली)

राष्ट्रीय सहारा के अंक दिनांक 15–12–2015 में प्रकाशित अपशिष्ट संग्रहण हेतु संशोधित दरें निम्नानुसार हैं:–

क्रमांक	अपशिष्ट एवं अपशिष्ट उत्पाद की श्रेणी/प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) की राशि ₹ में			
		जैविक, अजैविक कूड़ा अलग– अलग कर सड़क तक पहुँचाने पर	मिश्रित कूड़ा, सड़क तक पहुँचाने पर	जैविक–अजैविक कूड़ा घर/स्रोत पर ही अलग–अलग देने पर	जो व्यक्ति घर/स्रोत पर ही मिश्रित कूड़ा दें
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर	–	05	10	15
2.	कम आय वाले घर	05	10	15	20
3.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	10	20	15	30
4.	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस	100	200	150	250
5.	धर्मशाला	10	25	40	50
6.	बरातघर	500	1000	750	1200
7.	बेकरी	100	200	125	250
8.	कार्यालय	50	100	75	150
9.	सब्जी एवं फल विक्रेता	100	200	150	250
10.	रेस्टोरेन्ट	250	500	300	350
11.	स्कूल, कॉलेज एवं आवासीय शिक्षण संस्थाएँ	100	200	150	250
12.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम	200	400	300	450
13.	मेडिकल स्टोर	75	150	100	200
14.	दुकान	100	200	125	250
15.	वर्कशॉप/कबाड़ी	500	1000	600	1200
16.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	50	100	100	150

सार्वजनिक सूचना

06 फरवरी, 2017 ई0

संख्या 556/न0पा0परि0/उप नि0/2016–17/कर्णप्रयाग–नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (2), शीर्षक (ई) उपखण्ड बी के अन्तर्गत दी गई शक्तियों के अधीन, नगरपालिका परिषद्, इस एक्ट के आधार पर सक्षम अधिकारी के तौर पर नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग, जनपद चमोली अपने क्षेत्रान्तर्गत ठेकेदारी के लिए उपयुक्त विधायी शक्तियों का निर्वहन करेगी। अतः समाचार–पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग को प्रेषित की जा सकेगी, वाद–मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा, उपर्युक्त के अन्तर्गत उप नियमावली निम्न प्रकार होगीः–

1. परिभाषा :

(1) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग के ठेकेदारों को नियंत्रित एवं पंजीकरण उपविधि 2014 कहलायेगी तथा गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जायेगी।

(2) परिषद् का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग, जनपद चमोली से है।

(3) "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1916 (यू0पी0 म्यूनिसिपेलिटी एक्ट सं0 2, 1916 तथा संशोधित), जो कि वर्तमान में उत्तराखण्ड प्रदेश में भी लागू है, से है।

(4) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग के निर्वाचित अध्यक्ष एवं प्रशासक से है।

(5) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग से है।

(6) "पंजीकरण" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के ठेकेदारों के पंजीकरण से है।

(7) "ठेकेदार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग में सड़क/नाली निर्माण, पुनर्निर्माण, सामग्री आपूर्ति एवं अन्य कार्य, जो संविदा के अन्तर्गत आते हों, को करने का इच्छुक है।

(8) "श्रेणी" का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी से है।

2. पंजीकरण की प्रक्रिया :

नगरपालिका परिषद् की सड़क/नाली एवं भवन के निर्माण कार्य के सम्पादन एवं सामग्री हेतु ठेकेदारों की तीन श्रेणियाँ होगी। इच्छुक व्यक्ति, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में निम्न औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता है:–

(1) वह भारत का नागरिक हो तथा नगर सीमा, जनपद या उत्तराखण्ड प्रदेश में कम से कम 05 वर्ष से निवास करता हो। इसके लिए आवश्यक प्रमाण–पत्र तथा दो पासपोर्ट साईज फोटो देने अनिवार्य होंगे।

(2) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण–पत्र (श्रेणीवार) हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

(क) प्रथम श्रेणी के लिए – ₹ 15 लाख

(ख) द्वितीय श्रेणी के लिए – ₹ 08 लाख

(ग) तृतीय श्रेणी के लिए – ₹ 03 लाख

(3) प्रथम श्रेणी–प्रथम श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, जल निगम, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, नगरपालिका एवं जिला पंचायत आदि विभागों में कम से कम सड़क/नाली एवं भवन निर्माण का 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में ₹ 20.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे। इसके अतिरिक्त स्वयं का तकनीकी अभियन्ता एवं टी0 एण्ड पी0 (मिक्सचर मशीन एवं बाईवरेटर) आदि होने आवश्यक होंगे। (अनुभव प्रमाण–पत्र, अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।)

(4) द्वितीय श्रेणी–द्वितीय श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में ₹ 10.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे। (अनुभव प्रमाण–पत्र उपरोक्तानुसार जारी किया गया मान्य होगा)।

(5) तृतीय श्रेणी–तृतीय श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा, जिसके साथ कम से कम एक वर्ष का कार्य किया गया हो, का अनुभव प्रमाण–पत्र देना होगा।

(6) प्रत्येक ठेकेदार का आयकर व व्यापार कर विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण प्रार्थना–पत्र के साथ उक्त विभाग के पंजीकरण का प्रमाण–पत्र देना होगा तथा पंजीयन नम्बर के अभिलेख की छायाप्रति देनी होगी।

3. पंजीकरण की अवधि :

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल से 31 मई तक ठेकेदारों के पंजीकरण किये जा सकेंगे। पंजीकरण के निर्धारित प्रार्थना–पत्र के प्रारूप को ₹ 100.00 पंचायत कोष में जमा कर, क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र निर्धारित प्रारूप पर मान्य होगा, जो अवर अभियन्ता की आख्या पर अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, तत्पश्चात् ही पंजीकरण शुल्क एवं जमानत शुल्क जमा किया जायेगा, आवश्यक समझे जाने पर माननीय अध्यक्ष/प्रशासक को अधिकार होगा कि वह वित्तीय वर्ष की किसी अन्य अवधि में भी पंजीकरण हेतु आवेदन ले सके, इसके लिए कार्यालय स्तर से एक सप्ताह पूर्व पंजीकरण हेतु सूचना प्रकाशित की जायेगी।

4. पंजीकरण शुल्क :

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क नगद रूप में पालिका कोष में जमा करना होगाः–

(अ) प्रथम श्रेणी के लिए – ₹ 5,000.00

(ब) द्वितीय श्रेणी के लिए – ₹ 2,500.00

(स) तृतीय श्रेणी के लिए – ₹ 1,000.00

5. जमानतें :

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धक कर प्रार्थना–पत्र के साथ देनी होगीः–

(अ) प्रथम श्रेणी के लिए – ₹ 20,000.00

(ब) द्वितीय श्रेणी के लिए – ₹ 8,000.00

(स) तृतीय श्रेणी के लिए – ₹ 5,000.00

6. निर्माण के सम्पादन की सीमा :

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगाः–

(1) प्रथम श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार, सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

(2) द्वितीय श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार ₹ 15.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

(3) तृतीय श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार ₹ 8.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

7. निविदा प्रपत्र की लागत :

निविदा प्रपत्र का मूल्य, निर्माण कार्य के व्यय अनुमान (आंगणन) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगाः–

क्र0 सं0	कार्य की लागत (₹ में)	निविदा मूल्य (₹ में)
1.	50,000.00 तक	100.00
2.	50,001.00 से 99,999.00 तक	200.00
3.	1,00,000.00 से 1,99,999.00 तक	300.00
4.	2,00,000.00 से 3,99,999.00 तक	400.00
5.	4,00,000.00 से 10,00,000.00 तक	600.00
6.	10,00,001.00 से ऊपर	1,000.00

प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यों का ठेका लेने के लिए नगरपालिका परिषद् कार्यालय से निविदा प्रपत्र मूल्य देकर खरीदेगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा होने के पश्चात् किसी भी स्थिति में न तो वापस होगा और न ही आगामी निविदाओं में समायोजित होगा। निविदा प्रपत्र नगर पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय किया जायेगा।

8. निविदा स्वीकार करने का अधिकार :

ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदाओं में न्यूनतम निविदाओं को स्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष का होगा परन्तु किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष/प्रशासक को होगा। इस दशा में पुनः निविदायें आमंत्रित की जा सकती है। निविदा डालने के 01 वर्ष बाद तक ठेकेदार उन्हीं दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

9. धरोहर राशि :

निविदायें क्रय करते समय 5 प्रतिशत धरोहर धनराशि प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को प्रतिभूति के रूप में जमा करनी आवश्यक है और यह प्रतिभूति अधिशासी अधिकारी के नाम बन्धक होगी। ऐसी प्रतिभूति को पूर्व के कार्यों में जमा प्रतिभूति के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा, जब तक कि उन्हें अवमुक्त नहीं किया गया हो।

10. ठेकेदार का भुगतान :

कार्य समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, व्यापार कर एवं 5 प्रतिशत जमानत की राशि काटने के उपरान्त भुगतान किया जा सकेगा। जमानत राशि का भुगतान 01 वर्ष के बाद कार्य सन्तोषजनक होने पर अवर अभियन्ता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

11. कार्य पूर्ण करने की अवधि :

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह टेण्डर फार्म में दी गई कार्य अवधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करें। यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा उसकी कार्य अवधि बढ़ाने हेतु ठेकेदार द्वारा समय समाप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना–पत्र दिया गया हो तो अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढ़ाने की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी अवधि के लिए अवशेष कार्य पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में निहित प्रावधानों के अनुसार अर्थदण्ड स्वरूप कटौती कर ली जायेगी। इसका उल्लेख अनुबन्धनामा में भी आवश्यक रूप से किया जायेगा।

12. पंजीकरण निरस्तीकरण :

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं करता है अथवा कार्य सन्तोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत स्टीमेट व साईट प्लॉन के अनुरूप नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में सभासद, अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जाँच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर ऐसे ठेकेदार को काली सूची में ला सकता है। पंजीकरण के निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। इसका उल्लेख अनुबन्धनामा में भी किया जायेगा।

13. जमानत जब्त करने का अधिकार :

यदि ठेकेदार नगरपालिका परिषद् उपनियमों या ठेके की शर्तों, अनुबन्ध 7 पत्र का उल्लंघन कर नगर पालिका परिषद् को कोई हानि पहुँचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरीत कार्य करता है तो ऐसी दशा में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जाँच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष को ठेकेदार की जमानत जब्त करने का अधिकार होगा। यदि इसके बाद भी पालिका की क्षतिपूर्ति न हो सके तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूली की जायेगी। इसका उल्लेख अनुबन्धनामा में भी किया जायेगा।

यह उप–नियमावली नगरपालिका परिषद्, कर्णप्रयाग, जनपद चमोली के मा0 पालिका बोर्ड की सहमति पर बोर्ड की बैठक दिनांक 23–05–2013 में प्रस्ताव संख्या 01 के द्वारा पारित की गयी।

एल0 एम0 मिश्र,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
कर्णप्रयाग।

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, दुगड्डा (पौड़ी गढ़वाल), उत्तराखण्ड

विभिन्न व्यवसाय शुल्क/लाइसेंस शुल्क में वृद्धि हेतु नियमावली का संशोधन

28 सितम्बर, 2016 ई0

पत्रांक 213/560/वि0ला0/गजट/2016–17–नगर पालिका परिषद्, दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल द्वारा अपनी सीमान्तर्गत विभिन्न व्यवसाय शुल्क दरों को विनियमित करने हेतु बनाई गई उपनियमावली, जो उत्तर प्रदेश गजट 17 जून, 1989 में प्रकाशित है, उक्त विज्ञप्ति सं0 251/21–6(1), दिनांक 15 मई, 1989 एवं गजट 23 अगस्त 1986 विज्ञप्ति सं0 7443/21–5(12), दिनांक 14 मई, 1986 द्वारा निर्धारित शुल्क दरों में पालिका बोर्ड ने अपने प्रस्ताव सं0 05 दिनांक 27.11.2014 द्वारा वृद्धि एवं कतिपय नई मदों पर शुल्क का प्रस्ताव म्यु0 एक्ट की धारा 300 (1) की अपेक्षानुसार सशोधन की सूचना समाचार–पत्र के अंक दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 में आपत्ति एवं सुझाव हेतु आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया था। प्रकाशनोपरान्त व्यापार मण्डल, दुगड्डा द्वारा बिना साक्ष्य के आपत्ति प्राप्त की सुनवाई कर, आपत्ति का निराकरण उपरान्त अन्तिम रूप से बोर्ड प्रस्ताव सं0 02, दिनांक 23.05.2016 व प्रस्ताव सं0 01, जिसकी पुष्टि दिनांक 29.07.2016 के द्वारा बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः उक्त संशोधन को म्यु0 एक्ट की धारा 300(1) के आशय के अनुरूप उत्तराखण्ड शासकीय असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाता है, जो गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

क्र0 सं0	व्यवसाय का नाम	वर्तमान दरें (₹ में)	संशोधित निर्धारित दरें (₹ में)
1	2	3	4
1.	पान विक्रेता	15.00	50.00
2.	राशन गल्ला विक्रेता	40.00	150.00
3.	पान के साथ अन्य सामान्य	20.00	100.00
4.	राशन एवं कपड़ा विक्रेता	50.00	150.00
5.	राशन, कपड़ा, परचून एवं अन्य सामान	50.00	250.00
6.	स्टेशनरी, वस्त्र एवं फैन्सी, रेडीमेड (जनरल स्टोर)	50.00	150.00
7.	स्टेशनरी एवं पुस्तकों के विक्रेता	50.00	100.00
8.	स्टेशनरी, पुस्तकें, परचून, कपड़ों के विक्रेता	100.00	150.00
9.	फोटोग्राफर	30.00	100.00
10.	चमड़ा व्यापार		
	(क) दो या दो से अधिक व्यक्तियों की दुकान	30.00	50.00
	(ख) दो से अधिक व्यक्तियों की सम्मिलित दुकान	20.00	50.00
11.	घड़ी साजी	40.00	100.00
12.	फलों का उपयोग करके खाद्य सामग्री बनाने वाली फैक्ट्री	75.00	400.00
13.	केवल जूस, मुरब्बा आदि विक्रेता	25.00	100.00

1	2	3	4
14.	दर्जी टेलरिंग		
	(क) दो या दो से अधिक व्यक्तियों की दुकान	40.00	150.00
	(ख) दो से अधिक व्यक्तियों की सम्मिलित दुकान	60.00	150.00
15.	सब्जी आदि ईंधन विक्रेता (ठेकेदार)	50.00	200.00
16.	लकड़ी आदि ईंधन विक्रेता (सूक्ष्म)	30.00	300.00
17.	विद्युत यंत्रों द्वारा चालित आटा पिसाई, धान कुटाई, तेल पिराई मशीन एवं रूई धुनाई	100.00	200.00
18.	काष्ठ कला कार्य	50.00	150.00
19.	पेन्टर कार्य	50.00	200.00
20.	दवाई विक्रेता (रजिस्टर्ड प्रेक्टि्शनर)	60.00	300.00
21.	धुलाई मशीन व सम्बन्धित वृत्ति	30.00	100.00
22.	रेडियो/इलेक्ट्रिक मरम्मत विक्रय	70.00	200.00
23.	छापाखाना	60.00	300.00
24.	कार्यशाला		
	(क) कोई भी यन्त्रशाला, कार्यशाला	100.00	200.00
	(ख) यांत्रिक पार्ट्स विक्रेता (स्पेयर पार्ट्स)	70.00	150.00
25.	चित्रहार, सिनेमाघर, मनोरंजन	200.00	1000.00
26.	टी0वी0 विक्रय एवं मरम्मत कार्य (सभी प्रकार के)	150.00	250.00
27.	सभी प्रकार के स्वर्ण आभूषण क्रय–विक्रय एवं मरम्मत कार्य	150.00	400.00
28.	सभी प्रकार के तम्बाकू, धूम्रपान में उपयोग आने वाली सभी सामग्री	25.00	100.00
29.	चलती–फिरती प्रदर्शनी, सरकस, चर्खी आदि पर (प्रति शो)	10.00	50.00
30.	बर्तन स्टील, लोहा, तांबा, पीतल आदि धातु के	100.00	200.00
31.	बर्तन प्लॉस्टिक के एवं एल्युमिनियम से निर्मित	50.00	200.00
32.	स्टॉल लगाकर प्लॉस्टिक चप्पलें, खिलौने, बर्तन, स्क्रू, पेंच, चम्मच आदि का सामान विक्रय एवं जिनका अन्यत्र वर्णन न हो, प्रतिदिन की दर से	5.00	50.00
33.	मास्टर ऐन्टीना से लाइन टेलीविजन तक देने हेतु	200.00	300.00
34.	अन्य व्यवसाय, जिनका अन्यत्र वर्णन न हो	50.00	300.00

1	2	3	4
35.	टी स्टॉल (जिसमें चाय, दूध, नमकीन पकौड़ी, बिस्कुट)	50.00	200.00
36.	भोजनालय (चाय, भोजन, आवास)	150.00	300.00
37.	हलवाई	100.00	300.00
38.	बिस्कुट, बेकरी	100.00	200.00
39.	मांस	50.00	300.00
40.	मछली	30.00	100.00
41.	हाथ ठेला, खोपचा व अन्य रीति से फेरी पर भोजन पदार्थ बेचने पर	20.00	100.00

नये निर्धारित मदों की सूची

क्र0 सं0	व्यवसाय का नाम	लाइसेन्स शुल्क (वार्षिक) (₹ में)
1.	होटल/लॉज/गेस्ट हाउस का व्यवसाय	
	(क) 10 बैड तक	4,000.00
	(ख) 10 से 20 बैड तक	6,000.00
	(ग) 20 बैड से अधिक	10,000.00
2.	वैडिंग प्वाइंट	30,000.00
3.	अंग्रेजी शराब/बीयर की दुकान	20,000.00
4.	देशी शराब की दुकान	20,000.00
5.	भांग का ठेका	5,000.00
6.	डिस्टलरी	20,000.00
7.	बार/बीयर व्यवसाय	10,000.00
8.	फल/सब्जी	200.00

दीपक बडोला,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
दुगड्डा।

बद्री प्रसाद आर्य,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
दुगड्डा।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 08 हिन्दी गजट/118–भाग 8–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।